छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील क्रमांक 578/2006</u>

श्री एस0 पी0 रतनानी,
132, हनुमान नगर, कालीबाड़ी चौक,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(<u>दिनांक 28 फरवरी 2007</u>)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एस0पी0रतनानी ने दिनांक 27–07–2006 को जन सूचना अधिकारी, तकनीकी शिक्षा संचालनालय से जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। दिनांक 16–10–2006 को उन्हें जानकारी प्रदान की गई, किन्तु उक्त जानकारी भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण उनके द्वारा एक आवेदन अतिरिक्त संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय के यहां दिनांक 27–07–2006 को प्रस्तुत किया गया। विधिवत् प्रथम अपील नहीं की गई है, किन्तु उन्होंने द्वितीय अपील में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 26–09–2006 को प्रथम अपील प्रस्तुत किया था, किंतु प्रथम अपील की शुल्क नहीं ली। उन्हें अभी तक वांछित जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा द्वितीय अपील छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 04–12–2006 को प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का तथा प्रस्तुत तर्कों का अवलोकन किया गया एवं समक्ष में सुनवाई भी की गई। अपीलार्थी अपने अवकाश पुनरीक्षण आदेश एवं अवकाश वेतन के संबंध में तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन को भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपि व प्राचार्य, इंजीनियरिंग कालेज के पत्र व प्रकरण की वस्तुस्थिति तथा सचिव को प्रस्तुत टीप आदि की सत्यप्रतिलिपि एवं मत चाह रहे हैं। इस संबंध में प्रतिअपीलार्थी द्वारा एक संक्षेपिका बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा आवेदक के पूर्व प्रकरण तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन का होने से और उसमें तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग के पत्र दिनांक 27–08–1998 के आधार पर यह कह रहे हैं कि जितना सहानुभूतिपूर्वक अपीलार्थी के प्रकरण में विचार करना संभव था वह समस्त कार्यवाही की जा चुकी है और उससे और अधिक सुविधा देना संभव नहीं है। अपीलार्थी उसके पूर्व एक अवर सचिव द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 07–03–1998 का सहारा लेते हुए इसमें लिखा है कि अनुपस्थिति की अवधि के लिए सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं। यह पत्र तत्कालीन संसद सदस्य को लिखा गया था। किन्तु बाद में इस पत्र की स्थिति को शासन के पत्र में गलत बताया गया है। अतः तत्कालीन अवर सचिव द्वारा गलत पत्र लिखा गया है तथा इसके बारे में कार्यवाही अब छत्तीसगढ़ में होना संभव नहीं है। इसके बाद में संक्षेपिका में यह भी बताया गया है कि राज्य प्रशासनिक अभिकरण रायपुर बेंच तथा छत्तीसगढ़ के माननीय

उच्च न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी की याचिका खारिज़ की जा चुकी है। किन्तु अपीलार्थी बार–बार उन्हीं पुरानी बातों को दोहराते हुए आवेदन करते रहते हैं, जिससे कार्यालयीन समय भी नष्ट होता है। इस आधार पर प्रतिअपीलार्थी ने अपील निरस्त करने की मांग की है। अपीलार्थी अपने आपको 68 वर्षीय वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक बताते हुये मुआवजे और जुर्माने की मांग कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 6396/– रुपये के देय राशि का चेक भी इंजीनियरिंग कालेज द्वारा जारी किया गया, जो अपीलार्थी ने लेने से मना किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के समस्त रिकार्ड को देखते हुये अपीलार्थी के तर्कों में कोई बल प्रतीत नहीं होता है और केवल इस आधार पर प्रतिअपीलार्थी पर शास्ति आरोपित करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कोई दुर्भावना नहीं बताया गया है और सभी संबंधित से पत्रव्यवहार कर उनके द्वारा यथासंभव प्रयास अपीलार्थी की समस्या का निराकरण करने के लिये किया गया है। फिर भी अपीलार्थी की स्थिति को देखते हुये यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उनसे संबंधित समस्त रिकार्ड का जन सूचना अधिकारी द्वारा निःशुल्क निरीक्षण करवाया जावे और उसमें से जिन अभिलेखों की प्रति वह चाहे 100/– रुपये अथवा 50 पृष्ठों की सीमा तक 15 दिन के अंदर निःशुल्क प्रदान की जावे और उससे अधिक अभिलेखों की प्रति वह चाहें तोउसका शुल्क लेकर उन्हें प्रदान किया जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि अब शासकीय इंजीनियरिंग कालेज, रायपुर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हो चुका है, जो केन्द्रीय शासन के अंतर्गत आता है। अतः वहां से संबंधित कोई भी कार्यवाही अब केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आयेगी। किन्तु फिर भी यदि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत अपीलार्थी से संबंधित कोई बिन्दु पर कार्यवाही शेष है तो सचिव, छ.ग.शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को बुलाकर समक्ष में सुनें और उनकी जो भी मांगे शेष हों, उनका शासन स्तर से अथवा संचालनालय स्तर से 01 माह के अन्दर निराकरण करवायें, ताकि लम्बे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारी की समस्याओं का निराकरण हो सके।

3/ उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ उक्त अपील निरस्त की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त